भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2025

क्रमांक – 424/मप्रविनिआ/2025 – विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(1) सहपठित धारा 39(2)(घ), धारा 40(ग), धारा 42(2), धारा 42(3) एवं 86(1)(ङ) के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2021 {आरजी–24(1), वर्ष 2021} जिन्हें एतद् पश्चात् **"मूल विनियम"** निर्दिष्ट किया गया है, में संशोधन करनें हेतु निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2021 में पंचम संशोधन

(1) संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ

1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) पंचम संशोधन विनियम, 2021 {एआरजी–24(1),(v), वर्ष 2025}"** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के "राजपत्र" में इनकी प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होंगे।

1.3 इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा।

(2) मूल विनियमों के विनियम 3 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 3 के उप–खण्ड 3.3 के पांचवें परन्तुक के पश्चात् एक नवीन परन्तुक यथा, छठा परन्तुक निम्नानुसार अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :

"परन्तु यह और भी कि हरित ऊर्जा (green energy) को छोड़कर ऊर्जा की अन्तर्राज्यिक लघु अवधि निर्बाध (खुली) पहुंच को समय–समय पर यथासंशोधित मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन} (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2021 के अनुसार परिभाषित किसी आबन्धित इकाई (obligated entity) के परिसर में इसे विद्युत के पारेषण और/या चक्रण हेतु अनुज्ञेय नहीं किया जा सकेगा यदि आबंधित इकाई द्वारा पूर्व वर्ष हेतु नवीकरणीय विद्युत क्रय आबन्धन (renewal power purchase obligation) का अनुपालन न किया गया हो जो कि समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन} (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम 2021 के विनियम 15 के उपबन्धों के अध्यधीन होगा।"

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकान्त पाण्डा, सचिव.